FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिड़ावा

लाखन्द वगैरा बनाम फूलाराम वगैरा

मुकदमा नं _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
1-3-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 27-4-21 को पेश हो।	
27-4	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 28/6/21 को पेश हो।	
8-6-21	पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 13-9-21 को पेश हो।	
13-9-21	पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल मिसल रहे। मिसल वास्ते बहस विभागीय प्रस्ताव हेतु दिनांक 15-9-21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी. बिड़ावा जिला झुन्झुनूं (सज.)	
15-9-21	पत्रावली चाक राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान के मुताबिक विभागीय प्रस्ताव वाद वादीगण अमिश डिक्री करने का निवेदन किया। वाद वादीगण मुताबिक विभागीय प्रस्ताव अमिश डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बिड़ावा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विभागीय प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान के नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल करें। विभागीय प्रस्ताव निर्णय व डिक्री [illegible] पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] पाकर वाद तकमील पाया दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बिड़ावा	PD के [illegible] SP डिक्री का [illegible] नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.12.23 14:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner